

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 26.9.2019

क्रमांक रीडर/2019/ 2128

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 खेताराम 2 दमाराम 3
उदाराम पिसरान टीकमाराम
4 गिरधारीराम 5 चौखाराम
पिसरान खेमाराम 6 धापूदेवी
पत्नी टीकमाराम 7 जेयाराम
8 अचलाराम पिसरान
खेमाराम जाति जाट निवासी
सनावड़ा तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 धूड़ाराम पुत्र बन्नाराम 2 अचलाराम पुत्र सादूलाराम 3
पन्नाराम पुत्र चुतराराम 4 रामाराम पुत्र पदमाराम 5
मेघाराम पुत्र करनाराम 6 तोगाराम 7 गुमनाराम पिसरान
भोजाराम 8 देवाराम पुत्र पुरखाराम 9 नैनाराम पुत्र
मगाराम जाति जाट निवासी सनावड़ा 10 देवीसिंह 11
बहादूरसिंह पिसरान चनणसिंह जाति राजपूत निवासी
बाड़मेर मगरा 12 रूपाराम पुत्र सुरताराम जाति जाट
निवासी मसोणियों की ढाणी, जाखड़ों की ढाणी तहसील
व जिला बाड़मेर 13 दयालकंवर पत्नी सुमेरसिंह जाति
राजपूत निवासी पिडवाड़ा जिला सिरौही।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 153/2019

दिनांक- 24.9.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर मगरा पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2387/110 रकबा 87.00 बीघा, खसरा संख्या 2696/110 रकबा 07.05 बीघा, खसरा संख्या 2371/74 रकबा 78.00 बीघा, खसरा संख्या 2384/101 रकबा 12.00, खसरा संख्या 2697/110 रकबा 07.05 बीघा, खसरा संख्या 2698/110 रकबा 07.05 बीघा, खसरा संख्या 2694/110 रकबा 07.04, खसरा संख्या 2695/110 रकबा 07.05 बीघा, खसरा संख्या 2699/110 रकबा 07.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 26.9.2019

क्रमांक :- रीडर/2019/ 2129 - 2132

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खेमाराम पुत्र टीकमाराम वगैरह जाति जाट निवासी सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी धूड़ाराम पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर